

लाला मजिस्ट्रेट
टोक



लाला मजिस्ट्रेट (अध्यापक) दिनांक 31.12.2024 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसकी
अग्रणी/अपील का कुल बकाया राशि 3,99,383/- (अक्षर तीन लाख निम्नान्वे हजार
से उक्त खत को दिनांक 06.07.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व
बैंक के साथ किये गये अण अर्जुन की शर्तों के नियमानुसार नई बकाया, जिसकी वजह
दक्षिण में वसुधैव कुटुम्बकम् का मकान स्थित है। अग्रणी/अपील ने उपलब्ध अण को,
बैरवा का मकान, पहिलम में स्वयं के मकान में जाने का रास्ता, उत्तर में आम रास्ता तथा
स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 61.33 वर्गगज है एवं जिसकी सीमाएं पूर्व में रामलाल
संख्या 39, बाकें आम सदापुरा आम पंचायत लांबाकलां तहसील टोडारायसिंह लाला टोक में
में बंधक सम्पत्ति, पहलाद गुरजर के स्वामित्व व अधिपत्य की एक सम्पत्ति/संख्या. पहला
या व अग्रणी/अपील, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त अण की सुविधा के एवज
2,25,000/रुपये (अक्षर दो लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का अण उपलब्ध कराया गया
कम्पनी से अण खाला संख्या FIKKIALONSON0005028084 से दिनांक 31.12.2021 से
बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता अपील/सहअपील/गारंटर है। अग्रणी/अपील द्वारा गारंटी बैंक/
गारंटी बैंक/कम्पनी ने गारंटी पत्र में वर्णित किया है कि अग्रणी/अपील,
Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

गारंटी बैंक/कम्पनी की ओर से यह गारंटी पत्र अन्तर्गत धारा 14 The
Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

दिनांक 02.06.2026

आदेश

असैट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ़ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002
गारंटी पत्र अंतर्गत धारा 14 सेक्युरिटी इन्फोर्समेंट एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल

अपील/सहअपील/जमानती

राजस्थान 304505

1. पहलाद गुरजर पुत्र सूरज करण गुरजर निवासी सादपुरा लांबाकलां, टोक राजस्थान
304505
2. कृष्णा देवी पत्नी पहलाद गुरजर निवासी आम सदापुरा पोस्ट लांबाकलां टोडारायसिंह टोक
राजस्थान 304505

बनाम

बैंक/एफएम एसएट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रथम मजिस्ट्रेट, वकफाल्ड हाउस, स्मार्ट रोड,
बैंगलूर एस्टेट, मुंबई - 400038

24.04.2026

44/2026

प्रतिदि दिनांक

प्रकरण संख्या

(पीलासीन अधिकाारी टीना जर्बी, आई.ए.एस.)

न्यायालय लाला मजिस्ट्रेट टोक



लॉ
जिजा मजिस्ट्रेट

in his opinion, be necessary.

(1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated of found- to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him-

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and

(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset-

(1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated of found- to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him-

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and

(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,

आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते है। उक्त अर्जी को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 18.02.2025 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किये जाने तथा समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद अर्जी द्वारा अणु राशि मय ब्याज चुकाने में बैंक की गड़ है। अर्जी द्वारा बन्धक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं सम्भलया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्प्राप्तन हेतु रकन श्रद्धा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक / कम्पनी को जारी पुलिस इमदद सम्भलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पतावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक/ कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मान की गड़े राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या 6256/2016 पकजकर्मचार व अन्य बर्नाम जिजा मजिस्ट्रेट उदयपुर व अन्य, में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2016 के अनुसार अर्जी की धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नोटिस जारी किया जाने व तामिल के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः अर्जी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 में उक्त रकन की गड़े सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत स्पष्ट प्रावधान है, जो इस प्रकार है।

का. 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की

Handwritten signature



आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खले न्यायालय में सेनाया गया।

वहन किया जायगा।

वहनभर्ती व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है जो संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा प्रति भिजवाई जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 02.06.2026 को कर्मचारियों के रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, टोक को पर्याप्त पुलिस जाणा मुहैया कराने हेतु नियुक्त स्थान आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कर्मचारी द्वारा संबंधित कर्मचारी से संबंध में किसी संक्षेप न्यायालय का पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मिलितवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह एसेट्स एण्ड एनकोर्समेंट ऑफ सिविल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिविल इंस्ट्रुमेंट्स एण्ड रीकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनल डिपॉजिट नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 02.06.2026 को भुगतान दिनांक 02.06.2026 के पक्ष में

उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होगा।

है, यदि नियमों के अन्वय में किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त 2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी को शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजों के आधार पर दिये जा रहे हैं तो उस आदेश का निस्तारण इस कथन से करावे।

1. रहन रखा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाते वक्त यदि नियमानुसार आदेश प्राप्त होता है तो सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं :

पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहन रखा सम्पत्ति को प्रार्थी आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अन्वय में समस्त कर्तव्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थान प्रार्थी को प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आधार का शपथ पत्र पेश किया कि